



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4543

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1467 वर्ष 2024

अवनीश चंद्र श्रीवास्तव

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नीरजा श्रीवास्तव, रितेश सिंह, सुरेश सिंह, वरिष्ठ
अधिवक्ता, वीरेंद्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश,

1. श्री वी. पी. श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री वीरेंद्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सुने गए तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को भी सुना गया।

2. यह आपराधिक पुनरीक्षण दिनांक 07.02.2024 के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जो कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशांबी द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन, वाद संख्या 286 वर्ष 2007, राज्य बनाम अवनीश चन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 111, 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2004, थाना मंझनपुर, जिला कौशांबी से उत्पन्न, निरस्त कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. श्री वी. पी. श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 29.03.2004 को विपक्षी संख्या 2 ने एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2004 के रूप में पंजीकृत की गई, धारा 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, थाना मंझनपुर, जिला कौशांबी में, इस आरोप के साथ कि पुनरीक्षणकर्ता ने कार्यभार हस्तांतरित नहीं किया और साथ ही ग्रामीण विकास से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख भी संबंधित अधिकारी को, अपने पदमुक्त होने के पश्चात, प्रस्तुत नहीं किए। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने जाली हस्ताक्षर करके कुछ रसीद/बिल वाउचर तैयार किए।

4. दिनांक 31.12.1981 को पुनरीक्षणकर्ता को जिला पंचायत राज अधिकारी, मिर्जापुर के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। अप्रैल, 1982 के महीने में, उसका स्थानांतरण जिला मिर्जापुर से किया गया और उसने उसी पद पर ब्लॉक मंझनपुर (तत्कालीन जिला इलाहाबाद) में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1996 में उसे लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 1997 में उसका स्थानांतरण जिला कौशांबी में किया गया तथा उसे जिला विकास अधिकारी, कौशांबी के कार्यालय से संबद्ध किया गया। अंततः, वर्ष 2000 में उसे जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशांबी के कार्यालय से संबद्ध किया गया, जहां वह 17.12.2003 तक रहा। तत्पश्चात, उसे उस कार्यालय से पदमुक्त किया गया और ब्लॉक विकास अधिकारी, सरसावा, जिला कौशांबी के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया और फिर 31.12.2022 को, अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात, वह सेवानिवृत्त हो गया।

5. एफ.आई.आर. के पंजीकरण के पश्चात, विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना अधिकारी ने प्रथम सूचनाकर्ता मोहन सिंह दोहरे, कमल नारायण सिंह तथा चंद्रमा प्रसाद पांडे से पूछताछ की। विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने इंद्रपाल सोनकर नामक एक व्यक्ति द्वारा भेजे गए आवेदन एकत्र किए, जिसमें यह उल्लेख था कि दो फाइलें उसे सुपुर्द नहीं की गई थीं। विवेचना अधिकारी ने चंद्रमा प्रसाद पांडे तथा प्रथम सूचनाकर्ता के पूरक बयान भी दर्ज किए। तत्पश्चात, उसने डॉ. विनय कुमार उपाध्याय का शपथपत्र एकत्र किया और उसका बयान दर्ज किया। उसने सह-अभियुक्त इंद्रपाल सोनकर के बयान भी दर्ज किए। इस बीच, विवेचना अधिकारी बदल दिया गया और नए विवेचना अधिकारी ने दिनांक 28.05.2006 को मामले की विवेचना प्रारंभ की।

6. यह भी निवेदित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य एवं निराधार हैं। विवेचना के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अपितु

सह-अभियुक्त इंद्रपाल सोनकर दोषी पाया गया। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका अपने पद से स्थानांतरण हो गया था तथा उसने दिनांक 17.12.2003 को जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशांबी को कार्यभार, वादित अभिलेखों सहित, सुपुर्द कर दिया था। उसने उसे ₹11,392/- तथा ₹40,000/- नकद भी सुपुर्द किए थे। यह भी निवेदित किया गया कि विवेचक द्वारा दिनांक 24.12.2006 को पुनरीक्षणकर्ता एवं सह-अभियुक्त इंद्रपाल सोनकर के विरुद्ध धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 111, 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.02.2007 को संज्ञान ग्रहण किया गया। विवेचना के दौरान यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि उक्त दो फाइलें, जिन्हें लापता बताया गया था, सह-अभियुक्त इंद्रपाल सोनकर द्वारा प्राप्त कर ली गई थीं। अतः पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध परिलक्षित नहीं होता है। विवादित फाइलें इंद्रपाल सोनकर की अलमारी से प्राप्त हुईं, जब उसे संबंधित अधिकारी के समक्ष विशेषज्ञ द्वारा खोला गया। पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई, जिसमें वह निर्दोष पाया गया तथा अंततः दिनांक 25.08.2023 को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया गया कि लापता फाइलें इंद्रपाल सोनकर की अलमारी से प्राप्त हुई थीं।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन, अर्थात् आवेदन संख्या 41651 वर्ष 2023, प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2023 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया तथा पुनरीक्षणकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। पुनरीक्षणकर्ता ने सभी अभिलेखों सहित माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशांबी के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन तथा संलग्न अभिलेखों पर विचार नहीं किया गया और उसे निरस्त कर दिया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त करने में अवैधता की गई है तथा उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.जी.ए. ने यह कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं की गई है, क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता ने न तो कार्यभार हस्तांतरित किया और न ही अपने पद से मुक्त होने के पश्चात ग्रामीण विकास से संबंधित अभिलेख संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किए तथा उसने जाली हस्ताक्षर द्वारा कुछ

रसीद/बिल वाउचर तैयार किए। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा गवाहों के कथन अभिलिखित किए गए तथा प्रकरण की गहन विवेचना भी की गई। उसने कुछ अभिलेख भी संकलित किए तथा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान ग्रहण किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 24.12.2006 के आरोपपत्र को निरस्त करने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इस न्यायालय ने उक्त आवेदन को इस कथन के साथ निस्तारित किया कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अपराध परिलक्षित होता है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अतिरिक्त अभिलेखों सहित उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो आरोपपत्र का भाग नहीं हैं। उन्मोचन आवेदन पर विचार के समय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसके साथ प्रेषित अभिलेखों पर विचार किया गया। उन्मोचन आवेदन पर आदेश पारित करते समय अभियुक्त के अभिलेखों अथवा उसके बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं की गई है और पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।

9. वर्तमान वाद के तथ्यों के अनुसार, एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2004 के रूप में धारा 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, थाना मंझनपुर, जनपद कौशांबी में इस आरोप के साथ पंजीकृत किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने कार्यभार हस्तांतरित नहीं किया तथा अपने पद से मुक्त होने के उपरांत ग्रामीण विकास से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह भी आरोपित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने जाली हस्ताक्षर करके कुछ रसीद/बिल वाउचर तैयार किए। विवेचक द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों के कथन अभिलिखित किए गए। उसने पुनरीक्षणकर्ता तथा सह-अभियुक्त से भी पूछताछ की। विवेचना के दौरान उसने कुछ अभिलेख संकलित किए तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 24.12.2006 को धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 111, 120ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.02.2007 को संज्ञान ग्रहण किया गया।

10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.2023 की विभागीय विवेचना रिपोर्ट संलग्न करते हुए एक उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसे आरोपमुक्त किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन को यह कहते हुए निरस्त

कर दिया गया कि धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पर आदेश पारित करते समय पुलिस रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों पर ही विचार किया जाएगा।

11. धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है:

"239. अभियुक्त कब उन्मोचित किया जाएगा.—यदि, पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 173 के अंतर्गत उसके साथ प्रेषित अभिलेखों पर विचार करने पर तथा अभियुक्त का, यदि कोई हो, ऐसा परीक्षण करने के पश्चात जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, और अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।"

12. उपर्युक्त धारा के अनुसार, यदि पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसके साथ प्रेषित अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात तथा अभियुक्त का, यदि कोई हो, ऐसा परीक्षण करने के बाद जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, और अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि आरोप निराधार है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा; इसका अभिप्राय यह है कि धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आवेदन पर आदेश पारित करते समय केवल पुलिस रिपोर्ट तथा उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों पर ही विचार किया जाएगा।

13. मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय वारंट वादों के संबंध में, जो पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित होते हैं, धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 240 दंड प्रक्रिया संहिता प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान हैं। धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 173 के अंतर्गत उसके साथ प्रेषित अभिलेखों पर विचार करना होता है तथा, यदि आवश्यक हो, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उसका परीक्षण करना होता है, और यदि मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार है, तो कारण अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना अपेक्षित है।

14. विधि के स्थापित प्रावधान के अनुसार, आरोप निर्धारण के चरण पर न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह विस्तारपूर्वक विचार करे और सूक्ष्म संतुलन में यह आकलन करे कि कथित तथ्य, यदि सिद्ध हो जाएं, तो क्या वे अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे अथवा नहीं। उस चरण पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता कि अभियुक्त के दोषसिद्धि हेतु

पर्याप्त आधार है या नहीं अथवा यह कि विचारण निश्चित रूप से उसकी दोषसिद्धि पर समाप्त होगा। आरोप निर्धारण के प्रारंभिक चरण पर प्रबल संदेह मात्र ही आरोप निर्धारण हेतु पर्याप्त है और ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए यह कहना अनुमन्य नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

15. यह उल्लेखनीय है कि संहिता में उन मामलों में, जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान किया गया है; पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों को धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा आच्छादित किया गया है तथा पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य प्रकार से स्थापित मामलों का विचार धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया जाता है। उपर्युक्त धाराओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के उन्मोचन के संबंध में इनमें कुछ भिन्न प्रावधान निहित हैं। संहिता की धारा 227 के अंतर्गत, यदि विचारण न्यायालय यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए बाध्य है। तथापि, धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन्मोचन तब आदेशित किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार है। धारा 245(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन्मोचन की शक्ति तब प्रयोज्य होती है जब मजिस्ट्रेट, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है, जो यदि अप्रमाणित रह जाए, तो उसकी दोषसिद्धि का औचित्य सिद्ध करे।

16. धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ प्रेषित अभिलेखों तथा अभियुक्त के परीक्षण के आधार पर तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, साक्ष्य के अभिलेखन से पूर्व ही उन्मोचन का प्रावधान करती हैं। तथापि, इसके विपरीत, धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन्मोचन का चरण केवल तब प्राप्त होता है जब धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट साक्ष्य अभिलिखित किए जा चुके हों।

17. अतः, इन प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में भिन्नता विद्यमान है। किन्तु, इन भिन्नताओं के बावजूद, तथा जो भी प्रावधान लागू हो, इस चरण पर न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह यह देखे कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है या नहीं।

18. यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मजिस्ट्रेट, आरोप निर्धारण के चरण पर, यह देखेगा कि अभियोजन द्वारा आरोपित तथा सिद्ध किए जाने के लिए अभिप्रेत तथ्य, विवेचक द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के सामान्य परीक्षण पर, प्रथमदृष्टया किसी अपराध के संपादन को प्रकट करते हैं या नहीं। यह सुविदित है कि आरोप निर्धारण के चरण पर अभियुक्त का प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि आरोप निर्धारण या संज्ञान ग्रहण के समय अभियुक्त को किसी भी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होता।

19. वर्तमान वाद में, पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2004 के रूप में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन इस आरोप के साथ पंजीकृत किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने कार्यभार हस्तांतरित नहीं किया तथा अपने पद से मुक्त होने के पश्चात ग्रामीण विकास से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए। यह भी आरोपित किया गया कि उसने जाली हस्ताक्षर करके कुछ रसीद/बिल वाउचर तैयार किए। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों के कथन अभिलिखित किए गए तथा अभिलेखीय साक्ष्य भी संकलित किए गए। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 24.12.2006 को पुनरीक्षणकर्ता एवं सह-अभियुक्त इंद्रपाल सोनकर के विरुद्ध धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 111, 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.02.2007 को संज्ञान ग्रहण किया गया।

20. उन्मोचन आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है या नहीं। वर्तमान वाद में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय विवेचना, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को आरोपमुक्त बताया गया है, आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात संपन्न की गई थी, अतः उक्त विवेचना प्रतिवेदन को उन्मोचन आवेदन के निर्णय के समय विचारार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता।

21. आदेश पारित करने से पूर्व यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्तमान वाद में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशांबी द्वारा दिनांक 07.02.2024 के आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, किन्तु आज दिनांक तक संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया है। इस

न्यायालय के संज्ञान में अनेक आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण आए हैं, जिनमें विद्वान विचारण न्यायालय, अभियुक्त द्वारा किसी वाद में उन्मोचन हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करते समय, लगभग एक माह पश्चात आरोप निर्धारण हेतु तिथि नियत कर देते हैं तथा कुछ अन्य प्रकरणों में विचारण न्यायालय, इस बहाने से कि चुनौतीपूर्ण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण लंबित है, अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप निर्धारित नहीं कर रहे हैं। इस न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह भी अवलोकित किया है कि जैसे ही पक्षकार उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील, पुनरीक्षण अथवा रिट याचिका प्रस्तुत करते हैं, विचारण न्यायालय सामान्यतः वादों की अंतिम सुनवाई को स्थगित कर देते हैं, यद्यपि उच्चतर न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगनादेश पारित नहीं किया गया होता है।

22. यहाँ धारा 227, 228, 239 एवं 240 दंड प्रक्रिया संहिता का उद्धरण प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

"227. उन्मोचन.— यदि वाद अभिलेख एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात तथा इस संबंध में अभियुक्त एवं अभियोजन के निवेदनों को सुनने के उपरांत, न्यायाधीश यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

228. आरोप का निर्धारण — (1) यदि उपर्युक्त प्रकार के विचार एवं सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश इस मत का होता है कि यह अनुमान करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है—

(क) जो सत्र न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर सकता है और आदेश द्वारा वाद को विचारण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर सकता है तथा अभियुक्त को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी तिथि को, जिसे वह उपयुक्त समझे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो, और तत्पश्चात उक्त मजिस्ट्रेट उस अपराध का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट वादों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा;

(ख) जो न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप निर्धारित करेगा।

(2) जहाँ न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत कोई आरोप निर्धारित करता है, वहाँ आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा समझाया जाएगा और अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी होने की स्वीकारोक्ति करता है अथवा विचारण की मांग करता है।

239. अभियुक्त कब उन्मोचित किया जाएगा – यदि पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 173 के अंतर्गत उसके साथ प्रेषित अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात तथा अभियुक्त का, यदि कोई हो, ऐसा परीक्षण करने के बाद जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, और अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

240. आरोप का निर्धारण – (1) यदि ऐसे विचार, परीक्षण, यदि कोई हो, तथा सुनवाई के पश्चात, मजिस्ट्रेट इस मत का होता है कि यह अनुमान करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय है, जिसका विचारण वह करने के लिए सक्षम है और जो उसके मत में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडनीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप निर्धारित करेगा।

(2) तत्पश्चात आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी होने की स्वीकारोक्ति करता है अथवा विचारण की मांग करता है।"

23. उपर्युक्त उल्लिखित धाराओं के अनुसार, यदि सत्र न्यायालय द्वारा धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया गया हो अथवा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को उन्मोचित करने हेतु कोई आधार नहीं पाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में, जब तक कि उन्मोचन आवेदन को निरस्त करने वाले आदेश को उच्चतर न्यायालय में चुनौती देकर स्थगित नहीं कराया गया हो, सत्र न्यायालय तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमशः धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता तथा धारा 240 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने हेतु विधिसम्मत रूप से बाध्य हैं। यह विधि

का स्थापित प्रावधान है कि किसी आदेश के विरुद्ध मात्र आपराधिक पुनरीक्षण अथवा आपराधिक अपील दायर कर देना, इस बात का द्योतक नहीं है कि संबंधित न्यायालय की कार्यवाही स्थगित हो गई है।

24. वर्तमान वाद के तथ्यों पर विचार करने तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेने पर, यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त उन्मोचन आवेदन को निरस्त करने में कोई अवैधता नहीं की गई है। अतः यह पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।

25. तदनुसार, यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

26. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा सभी जिला न्यायालयों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि विद्वान जिला न्यायाधीशगण अपने अधीनस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को यह अवगत कराएं कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा कोई उन्मोचन आवेदन निरस्त किया जाता है, तो जब तक कि उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देकर स्थगित न कराया गया हो, विचारण न्यायालयों पर यह वैधानिक दायित्व है कि वे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित करें और किसी आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध मात्र अपील, पुनरीक्षण अथवा यहां तक कि रिट याचिका दायर कर देना, तब तक किसी वाद की कार्यवाही को स्थगित मानने का कोई वैध या औचित्यपूर्ण आधार नहीं होगा, जब तक कि उच्चतर न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर स्थगनादेश पारित न किया गया हो।

(चवन प्रकाश, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 8 जनवरी, 2026

विजय

